

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ (अलवर)

क्रमांक संख्या ५१ तारीख दायर १०-०८-२०२० दिनांक निर्णय १७-०९-२०२०

उनवान

पेटवारी इल्का दुब्बी बनाम पप्पू राम

आव फरवली मु-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

अनु. निलामी बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. २०७७ का नया कब्जा होना साबित होता है।

अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अनु. बन्द है कि-

पप्पू राम पुत्र/पत्नी रत्तीराम

पत्नी भीना निवासी अनावडा

किसी खसरा नं. ६५७ रकबा ०.०२ किस्म सिवाथचक्र वाके ग्राम

अनावडा से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान ०.०४ की

५० गुणा में मु. २००० रुपये कायमी कराई जावें

अनु. व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

नायब/तहसीलदार
राजगढ (अलवर)
नायब तहसीलदार
राजगढ (अलवर)

रा. ले. स. ४ वर्ष २०२०-२१
के पृष्ठ संख्या २५ पर सि. नं. ०२/-
राशि कायम किये गये।
स. रा. सहायकार